कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—:विविध—आदेश:—

(कार्य—विभाजन में संशोधन क0—11)

क्रमांक 40 /   रीवा, दिनांक 09 /03/2024

दो—1—1/2000

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक—150/Confdl./2024/II-3-1/2024, जबलपुर दिनांक 23/02/2024 के द्वारा सुश्री निधू श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा—15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—10 की उपधारा—2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—216/दो—1—1/2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:—

सरल क्रमांक—49 के पश्चात् 49—अ निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:—

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
49—अ	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

2. परिशिष्ट—अ की कंडिका 42 एवं 43 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
42	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
43	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
44	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
नोट:— उपरोक्त तीनों व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज कार्य देखेंगे।		

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1342/   रीवा, दिनांक 09/03/2024

दो—1—1/2000

प्रतिलिपि:—

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय
   रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई—मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/ की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)